व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (TReDS)

drishtiias.com/hindi/printpdf/shaktikanta-das-will-issue-norms-on-regulatory-sandbox-in-next-two-months

संदर्भ

व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (Trade Receivable Discounting System-TReDS) MSME को कॉर्पोरेट से मिलने वाले प्राप्यों के भुगतान के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा शुरू की गई एक पहल है।

इसका गठन RBI द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (Payment and Settlement Systems Act 2007) के तहत स्थापित नियामक ढाँचे के तहत किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- TReDS प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य MSMEs की महत्त्वपूर्ण ज़रूरतों जैसे-तत्काल प्राप्यों का नकदीकरण और ऋण जोखिम को समाप्त करने वाले दोहरे मुद्दों का समाधान करना है।
- TReDS प्लेटफॉर्म, एक नीलामी तंत्र द्वारा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित बड़े कॉर्पोरेटों के समक्ष MSMEs के विक्रेताओं के बीजक/विनिमय बिलों के बट्टाकरण (Discounting) में सहायता प्रदान करता है। इससे प्रतिस्पर्द्धात्मक बाज़ार दरों पर व्यापार प्राप्यों की त्वरित वसूली सुनिश्चित होती है।
- TReDS भारत में विक्रेताओं के लिये फैक्टरिंग विदाउट रीकोर्स (Factoring Without Recourse) शुरू करने का एक प्रयास है, इससे MSMEs को प्राप्यों की त्वरित वसूली के साथ-साथ योग्य मूल्य का पता लगाने में सहायता होगी।

TReDS प्लेटफॉर्म में हिस्सा लेने हेतु पात्र निकाय :

TReDS, MSMEs के बीजक/बिलों को अपलोड, स्वीकार, बट्टाकरण, व्यापार और निपटान करने हेतु विभिन्न प्रतिभागियों को एक जगह पर लाने हेतु एम मंच/प्लेटफॉर्मर प्रदान करता है।

treds

* (MSMED अधिनियम, 2006 के अनुरूप पारिभाषित MSMEs आपूर्तिकर्त्ता)

TReDS संव्यवहार कौन शुरू कर सकता है:

- MSMEs विक्रेताओं के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण के लिये विक्रेता और खरीदार दोनों TReDS लेन-देन शुरू कर सकते हैं।
- जब MSMEs विक्रेता बीजक (Invoice) अपलोड करता है और ब्याज़ लागत का वहन करता है, तो इसे 'फैक्टरिंग' कहा जाता है अर्थात् (एकल विक्रेता-एकाधिक खरीदार)। 'रिवर्स फैक्टरिंग' (एकल खरीदार-एकाधिक विक्रेता) के मामले में खरीदार द्वारा लेन-देन शुरू किया जाता है और ब्याज़ लागत को भी खरीदार द्वारा वहन किया जाता है।

TReDS के मुख्य लाभ

सभी सहभागियों के लिये

- स्वचालित पारदर्शी प्लेटफॉर्म
- पेपरलेस और परेशानीमुक्त
- लागत में कमी

विक्रेता को लाभ

- प्रतिस्पर्द्धी मूल्य की खोज
- विक्रेता पर किसी प्रकार के दायित्व का न होना (Without Recourse)।
- MSMEs को सबसे बेहतर बोली चुनने का अधिकार।
- भुगतान हेतु खरीदार के साथ किसी तरह की अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जाती।
- एकल वित्तपोषक पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती।

- उत्पादकता में वृद्धि और दक्षतापूर्ण चलनिधि प्रबंधन।
- वित्तपोषण के विकल्पों में वृद्धि।

खरीदारों को लाभ

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास, अधिनियम 2006 (MSMED अधिनियम, 2006) के प्रावधानों का अनुपालन।
- MSME, विक्रेताओं के साथ बेहतर शर्तों के लिये मोल-तोल कर सकते हैं।
- खरीदारों के लिये निविष्टि (इनपुट) की कम लागत।
- कम प्रशासनिक लागत।
- प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य की खोज।
- कुशल नकदी प्रवाह प्रबंधन।
- यह सुनिश्चित करना कि उनके विक्रेताओं को नकदी/कार्यशील पूंजी की कमी नहीं है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस